भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुन: चक्रण बोर्ड
सामान्य सेवाएं संगठन, तारापुर

सत्यमेव जयते

निविदा सूचना सं: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आईएनआरपीओ/ एवीएस अनुलग्नक /2024/ ओ पी ए-1677,दिनांक:15 /10 /2024

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम, आईएनआरपी (ओ), नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड, परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात भाग 'क'- योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात तथा भाग 'ख'-वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हों अथवा ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता रखते हों।

i)	कार्य का नाम	एवीएस अनुबंध पर सेल विभाजन दरवाजे के संचालन के लिए हाइड्रोलिक पावर ड्राइव सिस्टम का निर्माण, निरीक्षण, परीक्षण, आपूर्ति स्थापना और कमीशनिंग
ii)	कार्य की अवस्थिति	एवीएस अनुलग्नक, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर
iii)	अनुमानित लागत	**21,00,000/-** (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
iv)	बयाना राशि(ईएमडी)	**42000/-** (रुपए बयालीस हजार मात्र)

टिप्पणी:-

बयाना राशि मूलरुप में वरीयत: बोईसर, महाराष्ट्र में देय भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्रिफ्री बीएआरसी, तारापुर के नाम से जारी किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी स्थायी जमा/ अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में बयाना राशि का कम से कम 50% या रु. 20.00 लाख, जो भी कम हो, उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि, निविदा भाग 'क' के परिशिष्ट 'क' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जमा बयाना के भाग के रुप में प्रस्तुत की गई बैंक गांरटी निविदा प्रस्तुतीकरण की तिथि से छह माह की अवधि या उससे अधिक के लिए वैध होगा। कार्यनिष्पादन गांरटी (पुष्टीकरण के बाद) प्राप्त होने के बाद बोली के साथ जमा किया गया बयाना वापस किया जाएगा।

v)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	शून्य
vi)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	रु. 0/-
vii)	पूर्णता की अवधि	04 (चार) कैलेंडर माह
viii)	डाउनलोड हेतु दस्तावेजों के उपलब्धता की तारीख	https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक **23/01/2024** (10.00 बजे) से वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली को प्रस्तुत करने का अंतिम तारीख तथा समय तक। एनआईटी **www.barc.gov.in** वेबसाइट पर केवल देखने के लिए भी उपलब्ध है।

ix)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख एवं स्थान	बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि दिनांक **01/11/2024**तक ईमेल के माध्यम से बोली-पूर्व अपनी पूछताछ भेजें । बोली-पूर्व की बैठक दिनांक **04/11/2024 को 11.00** बजे डब्ल्यूआईपी सम्मेलन कक्ष, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में आयोजित की जाएगी । बोलीपूर्व स्पष्टीकरण दिनांक **05/11/2024** तक https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ।
x)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अवधि	**07/11/2024 (10:00hrs) से 12/11/2024 (14.00 बजे) तक**
xi)	भाग 'क' को ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय	**13/11/2024 (15:00 बजे)**
Xii)	योग्य बोलीकर्ताओं के भाग 'ख' को खोलने की तारीख	https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर बाद की तारीख को अधिसूचित की जाएगी ।

सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश

सूचना :

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'क' (योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात) एवं भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में योग्यता मानदंड से संबधित कागजात है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'ख' क प्रोफार्मा । भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'क'-प्रमात्राओं एवं दरों की अनुसूची है ।

बोलीकर्ताओं के पास क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए । निविदा में भाग लेने के लिए, भावी बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यूज़र आईडी/पासवर्ड एवं क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ वेबसाइट www.tenderwizard.com/DAE के होमपेज में लॉगइन करें ।

भावी बोलीकर्ताओं द्वारा एक्सेल फार्मेट मूल्य बोली को डाउनलोड करके एक्सेल दस्तावेज को भरकर और उसका नाम बदले बगैर अपलोड किया जाना आवश्यक है। कृपया निविदा के प्रस्तुतीकरण हेतु हेल्प मैन्युअल का संदर्भ लें /एनआईटी के अनुसार हेल्प डेस्क से संपर्क करें ।

बीएआरसी परिसर, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, में प्रवेश के लिए भावी बोलीकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे फोटो पहचान पत्र अपने साथ लाएगा । बोलीकर्ता को फोन या ईमेल पर इस संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी ताकि एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था की जा सके। सफ़लता प्राप्त बोलीकर्ता को कार्य दिए जाने के बाद उपर्युक्त सभी दस्तावेज अनुबंध के भाग होंगे ।

आरंभिक पात्रता मानदंड:

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(ए (ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।

(बी (न्यूनतम र **840000/-** का किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र तथा निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

)सी (31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम से कम 1050000/- रुपये होना चाहिए। इसे एक पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट किया जाना चाहिए (चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड की जानी चाहिए)। जिस वर्ष में कोई टर्नओवर नहीं दिखाया गया है, उस पर भी औसत निकालने के लिए विचार किया जाएगा

(डी (दिनांक **31 मार्च**, **2023** को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों में कोई हानि नहीं होनी चाहिए ।

(ई (गत वर्षो के दौरान इस तरह का कार्य किया हो । 7

(एफ)   कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक सूची के अनुसार बोलीकर्ता के पास निर्माण उपकरण होना चाहिए। अन्यथा, उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह किराए पर लेने आदि द्वारा उपकरण का प्रबंधन करने में सक्षम होगा और उन फर्मों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनसे वह किराए पर लेने का प्रस्ताव करता है।

(जी)   ठेके के उचित निष्पादन के लिए बोलीकर्ता के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए।

(एच)   वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र- की प्रति ।

(आई   स्थायी खाता सं पैन)) कार्ड की प्रति ।

)जे   (पी एफ पंजीकरण सं। .

(के)   विभिन्न क्लायंटों हेतु किए गये कार्य के मूल्य के सबूत हेतु टीडीएस प्रमाण पत्र-

(एल)   बोली लगाने वाले को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसे किसी भी सरकार द्वारा निविदा देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पिछले 7 वर्षों में विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम। यदि बोलीकर्ता को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो उन्हें प्रतिबंध के विवरण की घोषणा करनी चाहिए और प्रतिबंध के आदेश की प्रति जमा करनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी मामले की योग्यता के आधार पर बोली लगाने वाले की योग्यता के बारे में फैसला करेगा।

(एम)   जिस माह में निविदा के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, उसके पूर्व माह के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले सात वर्षो के दौरान सभी (07) परिप्रेक्ष्य में (कार्य के क्लाइंट द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में निष्पादन के प्रमाणपत्र के आधार पर) समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किये गये जाने का अनुभव । निविदा प्रस्तुतिकरण के अंतिम तारीख के पूर्व दिवस तक पूरा किये गये कार्यों पर भी विचार किया जाएगा । संयुक्त उद्यम में कार्य स्वीकार्य नहीं हैं ।

4.   बोलीदाता को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाना चाहिए (कार्य के ग्राहक द्वारा प्रदर्शन के प्रमाणीकरण के आधार पर

(i) 3 (तीन) समान कार्य, प्रत्येक कार्य का कीमत अनुमानित लागत के **40%** (रु. **840000/-)** से कम नहीं होनी चाहिए, अथवा

(ii) 2 (दो) समान कार्य, प्रत्येक कार्य का कीमत अनुमानित लागत के **60%** (रु.**1226000/-)** से कम नहीं होनी चाहिए, अथवा

(iii) 1 (एक) समान कार्य, जिसकी कीमत अनुमानित लागत के **80%** (रु.**1680000/-)** से कम नहीं होनी चाहिए ।

यदि अनुमानित लागत 20 करोड़ से अधिक है, उपरोक्त के अलावा, किसी भी प्रकृति का एक पूर्ण कार्य (या तो उपरोक्त कार्यों का हिस्सा या एक अलग एक) जिसकी लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है। केंद्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार के विभाग/केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/नगर विकास प्राधिकरण/शहर के नगर निगम केंद्र/राज्य सरकार द्वारा किसी भी अधिनियम के तहत गठित और केंद्र/राज्य में प्रकाशित राजपत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान और यदि पात्र समान कार्य केंद्र सरकार के विभाग / राज्य सरकार के विभाग / केंद्र या राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / केंद्र में नहीं किए जाते हैं इसके लिए बोलीदाता द्वारा स्वायत्त निकाय, टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.   अर्हता के उद्देश्य के लिए "कार्यकी कीमत" का अर्थ उन सामग्रियों, जिनकी मुफ्त में आपूर्ति की गयी है, को छोड़कर सरकार/क्लायंटों दवारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की कीमत सहित पूरा किये गये कार्य का समग्र मूल्य होगा ।   इस क्लाज के उद्देश्य के लिए इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य "**पावर पैक हाइड्रोलिक/न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम का निर्माण एवं स्थापना**" से है । समान कार्य भारत में निष्पादित किए होने चाहिए । संयुक्त उद्यम कार्य की कीमत स्वीकार्य नही हैं ।

6.   निष्पादित कार्य के मूल्य को **7%** प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा को प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।

7. लागू बोलीदाता की बोली क्षमता निविदा में रखे गए कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली लगाने की क्षमता को निम्नलिखित सूत्र से निकाला जाएगा :

बोली लगाने की क्षमता = (A X N X 2) - B

जहाँ,

A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर । **पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को 7% प्रतिवर्ष के साधारण दर से बढ़ा करके वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा ।**

N = कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई है, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या ।

B = कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की की गई है, की पूर्णता की अवधि के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना तथा वर्तमान प्रतिबद्धताएं ।

8. यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकता को पूरा कर सकता है, वह अयोग्य माना जाएगा यदि उसने

(i) भ्रमात्मक अथवा झूठा अभ्यावेदन किया है अथवा योग्यता मानदंड कागजात में अपेक्षित फार्मों, कथनों तथा संलग्नों में दी गई सूचना को जानबूझकर छिपाया है ।

(ii) वित्तीय असफलता/कमजोरी इत्यादि अथवा ठेके को ठीक से न पूरा करने, कार्य को छोड़ देने जैसे खराब कार्यनिष्पादन का रिकार्ड रखता है ।

(iii) बोलीकर्ता अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल है।

(iv) बोलीकर्ता के खिलाफ यदि पऊवि सुरक्षा से कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है।

9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म/कंपनी होनी चाहिए । संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है

शर्तें :

10. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी, एक निरीक्षण दल गठित करेगें, जो निम्नलिखित आधार पर आधारित निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/ पूर्ण किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकें :-

ए) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर ।
बी) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं ।
सी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप ।
डी) कंपनी की संगठनात्मक संरचना ।
ई) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
एफ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता ।
जी) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति ।
एच) क्षेत्र नियोजन क्षमता ।
आई) कंपनी की कार्य को बैक टू बैक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति ।
जे) किसी सरकारी विभाग /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बोलीकर्ता को विवर्जित किए जाने का स्वरूप (यदि कोई हो तो)

अर्हता मानदंड से संबंधित कागजातों का मूल्यांकन : इसे एनआईटी में संदर्भित योग्यता मानदंड पर आधारित वित्तीय बोली को खोलने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तक 2014 के परिशिष्ट 20 के अनुलग्नक -1 के अनुसार किया जाएगा ।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन : वित्तीय बोली को खोलने की तिथि को उन बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा जिनके भाग -क (अर्हता मानदंड से संबंधित कागजात) को विभाग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तथा केवल ऐसे बोलीकर्ताओं के भाग -ख (वित्तीय बोली) को खोला जाएगा ।

इंगित कार्य की अनुमानित लागत केवल लगभग है और ठेकेदार दरों की विस्तार से गणना करेगा।

11. आवेदक को पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :

“मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं तथा यह निश्चित करता हूँ/करते हैं कि योग्य समान कार्य बैक टू बैक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है । आगे, यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के ध्यान में आता है, तब मैं/हम हमेशा-हमेशा के लिए भविष्य में एनआरबी, भापअकें(बीएआरसी) में ठेके की निविदा करने के लिए विवर्जित हो जाऊंगा/जाएंगे ”

“मैंने, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण करने पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर देने से संबंधी अनुलग्नक - I के खंड को पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीकर्ता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से है तो सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को किसी कार्य का उप-ठेका तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत न हो । मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीकर्ता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है। (जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।)"

12. भाग “क” के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी ।

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअकें में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी ऐसे उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता, ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

15. कार्य को करने के लिए समय की गणना कार्य शुरू करने के लिए कार्य आदेश जारी किए जाने के 15वें या कार्य शुरु करने की वास्तविक तिथि , जो भी पहले हो, के अनुसार की जाएगी ।

16. निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 180 दिनों के लिए वैध रखी जाएगी। यदि कोई बोलीकर्ता अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले, जो भी पहले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी । इसके अलावा, बोलीकर्ता को कार्य की पुन: निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

17. यदि निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा ।

18. भावी बोलीकर्ता को 1(iv) में वर्णित ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी तथा इनकी मूल प्रति(यां) भाग **“ख”** के खोलने के पहले **“महाप्रबंधक, आईएनआरपी (ओ),एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर, डाकघर : घिवली, जिला: पालघर, महाराष्ट्र -401502”** के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी । ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकृत होगी ।

19. बिल के समग्र रकम की 2.5% की दर से प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल तथा अंतिम बिल से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के प्रतिभूति जमा के बराबर न हो जाए ।
सुरक्षा जमा किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रुप में भी स्वीकार किया जाएगा । किसी अनुसूचित बैंक के फिक्सड डिपाजिट रसीद को भी स्वीकार किया जाएगा ।

20. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर अथवा कार्य प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, जमा किये जाने के लिए किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपाजिट रसीद/ बैंक गांरटी/बैकर्स चेक के रुप में कार्य निष्पादन गांरटी के रुप में ठेका के निविदा मूल्य के 5% की समतुल्य राशि को निष्पादन गारंटी के रूप में जमा करना होगा ।

21. यदि सफल बोलीकर्ता, कार्य आदेश जारी करने की तारीख से अथवा कार्य प्रारंभ करने की तारीख के पूर्व, जो भी पहले हो, के 15 दिनों (तथा अनुसूची “एफ” में उल्लेख की गई अनुग्रह अवधि की शर्ते पर के भीतर निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो विभाग [भापअकें(बीएआरसी)] किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को बिना किसी सूचना दिए पूर्ण रूप से जब्त कर सकता है ।

22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है तथा जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

25. i) कोट किए गये दर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होगा तथा ठेकेदार द्वारा देय होगा एवं एनआरबी, बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी। ठेकेदार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पर वर्तमान आदेश के अनुसार लागू जीएसटी ठेकेदार द्वारा संबंधित कर प्राधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।

ii) यथा लागू श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी।

iii) आयकर, जीएसटी टीडीएस एवं अन्य कोई कर जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा

iv) सभी कर्मियों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।

v) ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। ठेकेदार को ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी को संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा ।इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ईपीएफ एवं ईएसआईसी को वास्तविक रुप से एवं असली रुप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है, ईपीएफ एवं ईएसआईसी (दोनों का नियोक्ता का अंशदान) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। बोलीकर्ता अपनी दरों में ईपीएफ एवं ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा ।

26. **जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चें पर पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्त की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र, बिना कोई कारण बताए/ 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए बिना ठेके को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/देयता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह भी अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पादन गारंटी और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

अनुदेश :

27. बोलीकर्ता को https://eprocure.gov.in/eprocure/app के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

28. उपर्युक्त समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए। उपर्युक्त समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी। भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी /पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। योग्यता संबंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार बोलीकर्ताओं को योग्य घोषित किया जाएगा। योग्यता प्राप्त बोलियों को नियम को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी योग्य बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी ।

29. निविदा खुलने के बाद, बोलीकर्ता लॉग इन करके बोलियों की स्थिति को देख सकते हैं ।

30. बोलीकर्ता प्रत्येक मद की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करें। वित्तीय बोली निविदा दस्तावेज के साथ **BoQXXXX.xls** के रूप में https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध करायी गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे **BoQ_XXXX.xls** को यथावत डाउनलोड करें और अनुमति दिए गए कॉलम(अनप्रोटेक्टेड), जो अलग रंग में दिखाया

देगा में अपनी दरों को उद्धृत करें तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीकर्ता का नाम) भरें। जैसे ही उक्त विवरण भर दिया जाएगा उसके पश्चात बोलीकर्ता को उसे सेव(**save**) करके फाइल का नाम परिवर्तन किए बिना उसे ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा

बोलीकर्ता डाउनलोड की गई मूल्य बाली टेम्प्लेट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ /संशोधन नहीं करेंगे। यदि बोलीकर्ता द्वारा कोई सेल खाली छोड़ा जाता है तथा कोई दर उद्धृत नहीं किए जाते हैं तो एसे मद की दर को **"0"** (शून्य) माना जाएगा

31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-

(i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय कारोबार।

(ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण।

(iii) नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

(iv) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची।

(v) कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।

(vi) पैन (स्थायी खाता क्र.) कार्ड

(vii) ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी की प्रति।

viii) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का नियत और वास्तविक समय, iv) क्लाइंट से योग्य प्रकार के समान कार्यों का कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र।

हस्तगत कार्यों की सूची में निम्नलिखित का उल्लेख करें : i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का नियत समय / वर्तमान स्थिति।

ix) प्रमाणपत्र:

क .पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।
ख .कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाण-पत्र
ग .जीएसटी पंजीयन प्रमाणपत्र।
घ .पीएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।

(ix) यह वचन (अंडरटेकिंग) कि इसी प्रकार का कार्य(र्यों) को बैक टू बैक आधार पर दूसरे ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं कराया गया है।

(x) भाग क: खंड II तथा ठेके की सामान्य शर्तों के खंड (क्लाज) 11 के अनुसार घोषणा

(xi) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो।

(xii) घोषणा कि 3(I) में निर्दिष्टानुसार बोलीकर्ता को निविदा करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

(xiii) कंपनी के पत्रशीर्ष में अनुलग्नक -II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अनुसार वचनबद्धता।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत बोलीकर्ता ही निविदाएं प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट देख सकती हैं।
3. किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण के लिए 02525- 286282/233/283 & 184 फैक्स – 02525- 244200 अथवा एफसीटी क्र 8956680373 से 380 (विस्तार क्र.66626/66691) डायल करें।
4. ई-निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्न व्यक्तियों से संपर्क करें:

क श्री .भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं022 .-25487480

ख .किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24x7 निम्नलिखित हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें :

1) 002 4001-0120

2) 005 4001-0120

3) 787 6277-0120

5.. साइट विजिट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी

सेवा में rakesht@barc.gov.in / guptask_ta@barc.gov.in/ thariyan@barc.gov.in /skmeena_ta@barc.gov.in

प्रतिलिपि. vasudevan@barc.gov.in

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।

महाप्रबंधक, आईएनआरपी (ओ),एनआरबी,
एनआरबी, भापअकें, तारापुर
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

के.एस.वासुदेवन / K. S. Vasudevan
महाप्रबंधक (आर एवं डब्ल्यू एम)
General Manager (R&WM)
आई.एन.आर.पी (ओ) / INRP(O)
ना.पु.बो (ता) / NRB(T)
भा.प.अ.कें तारापुर / BARC, Tarapur
पोस्ट घिवली, ता. एवं जि. पालघर 401502
Po: Ghivali, Tal. & Dist. Palghar 401502

अनुलग्नक- I से NIT नंबर: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आईएनआरपीओ/ एवीएस अनुलग्नक /2024/ ओ पी ए –1677

दिनांक: 15 /10 /2024

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता पात्र होगा इस निविदा में बोली केवल तभी लगाई जा सकती है जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। द्वितीय। "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'परामर्शदाता', या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य शामिल है (जो कई व्यक्तियों का एक संघ है, या फर्म या कंपनियाँ), खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी एजेंसी शाखा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कार्यालय सहित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आने वाला प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। तृतीय। इस आदेश के प्रयोजन के लिए "भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोली लगाने वाले" का अर्थ है: - ए। ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या बी। ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत किसी इकाई की सहायक कंपनी; या सी। ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या डी। एक इकाई जिसका लाभार्थी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या ई। ऐसी संस्था का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या एफ। एक प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या जी। एक कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम जहां कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है। चतुर्थ। उपरोक्त (iii) के प्रयोजन के लिए लाभार्थी स्वामी निम्नानुसार होगा: 1. किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक के माध्यम से कार्य कर रहा है। या अधिक न्यायिक व्यक्ति, एक नियंत्रित स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण करता है। व्याख्या: अ. "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी है। शेयरों या पूंजी या कंपनी के मुनाफे की। बी। "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं। 2. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभार्थी स्वामी है प्राकृतिक व्यक्ति, जो अकेले या एक साथ काम कर रहे हैं, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पंद्रह प्रतिशत से अधिक की पूंजी या साझेदारी के मुनाफे के हकदार हैं। 3. एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, संपत्ति या पूंजी या ऐसे संघ या निकाय के लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी रखता है। व्यक्ति 4. जहां ऊपर (1) या (2) या (3) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, लाभार्थी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध कार्यालय का पद धारण करता है 5. ट्रस्ट के मामले में, लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या अधिक हित वाले लाभार्थियों और किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी, जो इस पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से विश्वास। V. एक एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है, या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। छठी। सफल बोलीदाता को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी ठेकेदार को काम का उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो।

अनुलग्नक- II से एनआईटी संख्या: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आईएनआरपीओ/ एवीएस अनुलग्नक /2024/ ओ पी ए - 1677 , दिनांक: 15 /10/2024

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 AB घोषणा के अनुसार संबंधित हो सकता है तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न भरने की पुष्टि। मैं, _______________ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/-- का] पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रासंगिक प्रावधान के तहत आवश्यक निम्नलिखित घोषणा करें: 1. कि मैं/हम क्षमता में इस घोषणा को करने के लिए अधिकृत हैं/हैं। व्यक्ति/मालिक/भागीदार/निदेशक के रूप में। 2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। 3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्त वर्ष ------ और वित्त वर्ष ------- के लिए आय की विधिवत रिटर्न फाइल कर दी है - हां / नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)। 4. यदि रिटर्न दाखिल किया गया है, तो विवरण निम्नानुसार है: मैं/हम, __________________ के पास पैन___________ है, इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि धारा 206 एबी के प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि मैं/हम आय भरने में नियमित हैं/हैं कर की विवरणी। पावती संख्या का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख नीचे दी गई है: क्रमांक वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष) आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख आईटीआर पावती संख्या 1 -------------- / (-----------) 2 -------------- / (----- -------) 5. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना आदि सहित किसी भी हानि/देयता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं। उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम

संस्था का नाम:

सील:

दिनांक

एनआईटी संख्या: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आईएनआरपीओ/ एवीएस अनुलग्नक /2024/ ओ पी ए - 1677,

दिनांक: 15/10 /2024

सार्वजनिक खरीद के प्रावधानों के लिए उपक्रम (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश -2017 , आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई. -II, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित।

एनआईटी संदर्भ: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आईएनआरपीओ/ एवीएस अनुलग्नक /2024/ ओ पी ए - 1677 ,

दिनांक: 15/10/2024

कार्य का नाम: एवीएस अनुबंध पर सेल विभाजन दरवाजे के संचालन के लिए हाइड्रोलिक पावर ड्राइव सिस्टम का निर्माण, निरीक्षण, परीक्षण, आपूर्ति स्थापना और कमीशनिंग

उपर्युक्त निविदा संदर्भ के संदर्भ में, मैं/हम मैसर्स... (आपूर्तिकर्ता का नाम) एतदद्वारा प्रमाणित करता है कि पेश किए गए उत्पाद/सेवाएं -------------------------------------- ---(कार्य का नाम) सार्वजनिक खरीद के डीपीआईआईटी आदेश (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017, आदेश संख्या 2017 में उल्लिखित "श्रेणी -1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करता है। "पी-45021/2/2017-बी.ई. -II, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित।

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त कार्य के लिए स्थानीय सामग्री .... वर्क ऑर्डर के कुल मूल्य का%।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर।

नोट: यदि खरीद लागत रुपये से अधिक है। 10 करोड़, स्थानीय सामग्री का यह प्रतिशत प्रमाणित वैधानिक लेखा परीक्षक / कंपनी का लागत लेखा परीक्षक / अभ्यास लागत लेखाकार / व्यवसाय करने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट होगा जैसा कि उपरोक्त आदेश में परिभाषित किया गया है।